दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

श्री फैयाज उल हक, नि.श्रे.लि., जिनको दिनांक 06.09.07 को भूमि प्रबन्धक शाखा, दि.वि.प्रा. में तैनात किया गया था। वे अपने कार्यालय से बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के 24.09.07 से अनुपस्थित चल रहे हैं। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा इस कार्यालय के ज्ञापन क्र. एफ.7 (258) 84/का.शा.-3/1167 दिनांक 06.07.09 द्वारा चार्जशीट भी जारी की गई जिसका उन्हें 10 दिन के अन्दर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जाँच करने के लिए संस्थापना आदेश सं. 1835 दिनांक 10.08.09 द्वारा श्री एस.के. गरेला, मुख्य अभियन्ता (रिटायर्ड) को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा श्री फैयाज उल हक, नि.श्रे.लि. द्वारा किए गए दिल्ली एवं झाँसी के पते पर समन जारी किए गए, जिनकी ताला लगा होने के कारण प्राप्ती नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त सूचना द्वारा श्री फैयाज उल हक, नि.श्रे.लि. को अन्तिम अवसर दिया जाता है कि वे जाँच अधिकारी के समक्ष 15 दिन के अन्दर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा बिना आगामी नोटिस के एकतरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आयुक्त (कार्मिक)

डीडीए की वेबसाइट 'dda.org.in' या 39898911 पर डॉयल करें